राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 561/2016/भीलवाडा

मैसर्स सिनर्जी मिनरल्स
भीलवाडा — अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
वृत–बी, वाणिज्यिक कर,भीलवाडा — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री ओ.पी.दोसाया
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 08.05.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 01/वैट/15–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.12.2015 के विरूद्ध पेश की गयी हैं, जिसमें उन्होंने सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर, वृत–बी, भीलवाडा(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत पारित संशोधित कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.03.2015 के द्वारा शेष बिक्री रू. 82,49,793/– पर करारोपण किया है, को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट–57 प्रस्तुत कर वर्ष 2011–12 में चतुर्थ तिमाही में रू. 27,56,300/–की बिक्री कर मुक्त चिनाई पत्थर की गई है,जिस पर कर निर्धारण अधिकार द्वारा करारोपण किया गया । उक्त कर मुक्त बिक्री पर आरोपित कर एवं ब्याज को कम करने का निवेदन करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष के वार्षिक बिक्री प्रपत्र में कुल बिक्री रू 1,00,07,568/–में से केन्द्रीय बिक्री कर योग्य रू. 17,57,775/–घोषित की गई है, जिसमें शेष बिक्री रू. 82,49,793/– पर 5 प्रतिशत से कर योग्य बिक्री दर्शायी है, जिस पर करारोपण किया गया है। उक्त बिक्री पर करारोपण किये जाने से असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील अस्वीकार की है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा वर्ष 2011–12 के चतुर्थ तिमाही में कर मुक्त चिनाई पत्थर की बिक्री की है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने अनुचित एवं अविधिक तरीके से करारोपण किया है अतः कर

मुक्त बिक्री पर किये गये करारोपण एवं ब्याज आरोपण को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीाकर करने का निवेदन किया ।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष में कुल बिक्री में से केन्द्रीय बिक्री कर योग्य घोषित की गई तथा शेष बिक्री वैट कर योग्य बिक्री दर्शायी है, जिसका विवरण अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में अंकित किया है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न व व्यापार खाते में कहीं भी कर मुक्त माल की खरीद बिक्री नहीं दर्शायी है और ना ही विवरण पत्र में नियत समयावधि में संशोधन किया गया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य बिक्री पर पर करारोपण किया गया है, जो विधि सम्मत है। वैट–10ए वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र होता है। जो व्यवसायी ने स्वयं ने प्रस्तुत किया है। अतः इसमें घोषित कर योग्य विक्रय पर ही करारोपण किया गया है। वैट 10ए प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात बिक्री विवरणी में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इन्हीं तथ्यों को अंकित करते हुए अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील को अस्वीकार किया है, जिसमें किसी प्रकार अविधिकता नजर नहीं आती है, अतः अपीलाधीन आदेश में यह पीठ हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं समझती है। फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य